



Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA  
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड  
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय  
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोच्चिन  
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: [www.cochincustoms.gov.in](http://www.cochincustoms.gov.in)

E-mail: [commr@cochincustoms.gov.in](mailto:commr@cochincustoms.gov.in)

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सूचना सं. Trade Notice No. 34/2018

विषय:- केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, डी.जी.ई.पी. का दिनांक 08.08.2018 का परिपत्र- अधिसूचना सं. 57/2000-सीमाशुल्क दिनांक 08.05.2000 के अंतर्गत नामित एजेंसियों/ बैंकों द्वारा कार्यान्वित बॉन्डों के निर्वहन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं- के संबंध में

**Sub:-CBIC, DGEP's Circular 25/2018-Cus dated 08.08.2018 -Standard operating procedures for discharge of bonds executed by nominated agencies/ banks under Notification no. 57/2000-Customs dated 08.05.2000 - reg.**

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषय पर केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, डी.जी.ई.पी. नई दिल्ली के परिपत्र सं. 25/2018-सीमाशुल्क दिनांक 08.08.2018. द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं. 57/2000-सीमाशुल्क दिनांक 08.05.2000, के अंतर्गत नामित एजेंसियों/ बैंकों द्वारा कार्यान्वित बॉन्डों के निर्वहन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं की ओर आयातकों, निर्यातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, सामान्य व्यापारियों तथा सभी हितधारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Kind attention of importers, exporters, Customs Brokers, the trading public and all other stake holders is drawn to CBIC, DGEP, New Delhi's Circular No. 25/2018-Customs dated 08.08.2018 notifying the Standard operating procedures for discharge of bonds executed by nominated agencies/ banks under Notification no. 57/2000-Customs dated 08.05.2000.

2. उपरोक्त परिपत्र के समान व्यापार सरलीकरण के हित लिए, सभी हितधारकों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त बॉन्डों के तीव्र निर्वहन के लिए निम्नलिखित मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का अनुसरण करें :

~In line with the above Circular for the interest of trade facilitation, all the stake holders are directed to follow the following standard operating procedures for the expeditious discharge of the said bonds:

- a. नामित एजेंसियों/बैंकों को विदेश व्यापार नीति (2015-20)(एफटीपी) की प्रक्रियाओं के हैंडबुक के पैरा 4.68 के अंतर्गत प्रदत्त निर्धारित निर्यात दस्तावेजों को एफ.टी.पी. द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात के सबूत के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्रदान करना होगा। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं।

Nominated agencies/ banks would electronically provide the prescribed documents as proof of exports as provided under Para 4.68 of Handbook of Procedures of the Foreign Trade Policy, (2015-20) (FTP) within the time period prescribed in the FTP. These documents are:

- i. शिपिंग बिल की ई.पी. प्रति EP copy of shipping bill,
- ii. सीमाशुल्क सत्यापित बीजक (इन्वाइस) Customs attested invoice,
- iii. बैंक का वसूली प्रमाण पत्र/ इ.बी.आर.सी. Bank certificate of realization/ eBRC.

- b. इस संबंध में संबद्ध अधिकारी का ई-मेल पता अधोलिखित है :

In this connection, the dedicated e-mail address of Officer concerned is as follows:

सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, कोचीन <b>Asst. Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Cochin</b>	<b>acc@cochincustoms.gov.in</b>
--	---------------------------------

- c. संबद्ध अधिकारी अर्थात सहायक/उप सीमाशुल्क आयुक्त दस्तावेजों की प्राप्ति के 24 घंटों की भीतर एक इलेक्ट्रॉनिक पावती जारी करेंगे।

The concerned officer i.e. Assistant/ Deputy Commissioner of Customs would issue an electronic acknowledgement immediately within 24 hours of receipt of the documents.

- d. यदि प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण पाए गए या अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है तो दस्तावेजों की प्राप्ति के 5 दिनों की भीतर नामित एजेंसियों/बैंकों को छूटे/अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु एक न्यूनता ज्ञापन जारी किया जाएगा।

If the submitted documents are found to be incomplete or additional documents are required, a deficiency memo would be issued to the nominated agency/ banks for submission of missing/ additional documents within 5 days of receipt of the documents.

- e. निर्धारित दस्तावेजों के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज संबद्ध सहायक सीमाशुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बाद ही मांगा जाएगा।

The additional documents, other than the prescribed documents, would be requisitioned only with the prior approval of the Additional Commissioner of Customs concerned.

- f. न्यूनता ज्ञापन की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर ही नामित एजेंसियों/बैंकों को आवश्यक छूटे हुए/अतिरिक्त दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदान करने होंगे।

Nominated agencies/ banks would electronically provide the deficient/ additional documents so required within 7 days of the receipt of the deficiency memo.

- g. निर्धारित दस्तावेज़ या न्यून/अतिरिक्त दस्तावेज़ की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर यथास्थिति सहायक/उप सीमाशुल्क आयुक्त निर्यात के तथ्य की पुष्टि करेंगे। यह कार्य सिस्टम महानिदेशालय के आई.सी.ई.एस. आवेदन पत्र पर संबन्धित दस्तावेज़ देखकर भी किया जा सकता है (निर्यात की ओर ई-संचित रोल होने की बाद बीजक उपलब्ध हो जाएगा)।

Within 7 days of the receipt of the prescribed documents or the receipt of the deficient/ additional documents, as the case may be, the Assistant/ Deputy Commissioner of Customs would confirm the fact of export. This can also be done by viewing the relevant documents on the ICES application of Directorate General of Systems (invoices would be available thereon once e-Sanchit is rolled out on the export side).

- h. निर्यात की पुष्टि के 7 दिनों के भीतर सहायक/उप सीमाशुल्क आयुक्त नामित एजेंसियों/बैंकों के बॉन्डों का निर्वहन करेंगे।

Assistant/ Deputy Commissioner would discharge the bond of nominated agency/ banks within 7 days of confirmation of the export.

3. बोर्ड द्वारा अधिसूचित उपरोक्त प्रक्रिया का सभी हितधारकों द्वारा ध्यान रखा जाए तथा उसका अनुपालन किया जाए।

Consequent to the above mentioned procedures notified by the Board, all the stakeholders are required to cognisance and comply with the same.

4. इस संबंध में यदि कोई कठिनाई/समस्या हो तो उसे अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाया जाए।

Difficulties, if any, in this regard may be brought to the notice of undersigned.

हस्ता/- Sd/-

(सुमित कुमार Sumit Kumar)

आयुक्त Commissioner

Encl: As above.

F No. S25/90/2018 ACC.CUS

Date: 05.12.2018

//अनुप्रमाणित Attested//

(जी अनिलकुमार G Anilkumar)

मूल्यनिरूपक Appraiser (टैरिफ यूनिट Tariff Unit)

को जारी Issued to:

सूची के अनुसार सभी सम्बद्ध All Concerned as per mailing list

प्रतिलिपि :Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, तिरुवनन्तपुरम ज़ोन आई एस प्रेस रोड, सी आर बिल्डिंग, कोचीन -682018  
**The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs,  
Thiruvananthapuram Zone,  
I S Press Road, C R Building,  
Cochin-682018.**
2. आयुक्त की फ़ाइल/अपर आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/सभी मूल्यानिरूपक/सभी अनुभाग/गार्ड फ़ाइल/सूचना पट्ट/ सीमाशुल्क अधीक्षक (ईडीआई) कार्यालयीन सीमाशुल्क के वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए सभी सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे निर्देशों/परिवर्तनों को नोट करे तथा उसका अनुपालन करें।  
**Commissioner's file/ADC/All DCs/ACs/All Appraisers/ All Sections/Guard File/ Notice Board/ SC(EDI) for uploading in Official Customs Website. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes.**